गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

पत्रांकः गौ.बु.प्रा.वि/कुस.का/एके./2011/17846-18441 दिनांकः 15 जुलाई, 2011

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय
एवं महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय से
सम्बद्ध समस्त संस्थाएं ।

विषय- वर्ष 2009 के दौरान उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विद्यमान रैगिंग के जोखिम की समस्या को नियंत्रित करने के संबंध में यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित नियमनों के अनुपालन तथा इस विषय में विभिन्न समितियों के गठन के विषय में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं0 एफ/1-15/2009 (रैगिंग निरोधक) दिनांक 23 जून, 2011 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

इस संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि यूजीसी ने अपने पत्र सं0 एफ-1-16/2009(सीपीपी-2), दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 द्वारा संदर्भित विषय पर अपने नियमनों को परिचालित किया है। उपरोक्त नियमनों को यूजीसी वेबसाइट www.ugc.ac पर देखा जा सकता है जो नियमन स्वाभाविक रूप से अधिदेशात्मक है। यूजीसी के उक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन्स-2009 को विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009, दिनांक 19 नवम्बर, 2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को पूर्व ही प्रेषित किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्देश दिये है कि प्राविधिक विश्वविद्यालय के अधिकार श्रेत्र में स्थित जो भी उच्चतर शिक्षण संस्थान है, उनके प्रिंसिपलो/निदेशकों को निर्देशित करें कि वे विभिन्न समितियों को गठित करें जैसा कि उपरोक्त नियमों के अर्न्तगत निर्धारित है तथा नये छात्रों के हितो को ध्यान में रखते हुए इन समितियों को उच्चतर शिक्षण संस्थानों की वेबसाइट पर स्थापित किया जाए तथा समस्त प्रक्रिया को संयुक्त सचिव (रैगिंग नियत्रंण प्रकोष्ठ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 की सूचना में लाया जाए अन्यथा यह उपरोक्त यूजीसी नियमनो की गैर-अनुपालन की स्थिति में यूजीसी द्वारा इसे

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन 2732193, फैक्स 2732185

गम्भीरता से लिया जायेगा तथा जैसा कि उपरोक्त नियमनों के अन्तर्गत अनुच्छेद 9.4 के अनुसार निर्धारित है, तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। ऐसा केन्द्रक अधिकारी जिन्हें रैगिंग से जुड़ी शिकायतें भेजी जानी है उस अधिकारी का नाम भी सूचित किया जाए ।

अत: आपसे अपेक्षा है कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 23.6.2011 में उल्लिखित रेगुलेशन्स के द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं का संस्था स्तर पर अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें ।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक-उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल/महा0 कुलाधिपति महोदय, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
3. संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को उनके पत्रांक एफ/1-15/2009(रैगिंग निरोधक) दिनांक 23 जून, 2011 के संदर्भ में ।
4. कुलसचिव, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोयडा ।
5. अपर परीक्षा नियत्रंक, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डलवाने का कष्ट करें ।
6. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन 2732193, फैक्स 2732185

मंजू सिंह
Manju Singh

सचिव
Secretary

दूरभाष PHONE : कार्यालय OFF : 23222595
फैक्स FAX : 23232569

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110 002

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002
E-mail : manjusingh@ugc.ac.in

मिसिल सं0 1–15/2009 (रैगिंग निरोधक)

मई, 2011

23 06 11

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश टेक्नीकल यूनिवर्सिटी,
सीतापुर रोड़,
लखनऊ–226021 (उ0प्र0)

विषय : वर्ष 2009 के दौरान, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विद्यमान रैंगिग के जोखिम की समस्या को नियंत्रित करने के संबंध में यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमनों के अनुपालन तथा इस विषय में विभिन्न समितियों के गठन के विषय में।

महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यूजीसी ने अपने पत्र सं. एफ 1–16/2009 दिनांक 21 अक्तूबर, 2009 द्वारा उपरोक्त विषय पर अपने निर्धारित नियमनो को परिचालित किया है–इस विषय पर मुझे यह कहना है कि उपरोक्त नियमनों को यूजीसी वेबसाइट www.ugc.ac.in में देखा जा सकता है–जो नियमन स्वाभाविक रूप से अधिदेशात्मक हैं।

आपसे अनुरोध है कि विभिन्न समितियों को गठित करें तथा आपके अधिकार क्षेत्र में स्थित जो भी उच्चतर शिक्षण संस्थान है, उनके प्रिंसिपलों /निदेशकों को सुझाव दें कि वे विभिन्न समितियों को गठित करें जैसा कि उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत निर्धारित हैं तथा नये छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन समितियों को उच्चतर शिक्षण संस्थानों की वेबसाइट पर स्थापित किया जाये तथा यह समस्त प्रक्रिया को संयुक्त सचिव (रैंगिग नियन्त्रण प्रकोष्ठ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली –110002 की सूचना में लाया जाये।

अन्यथा यह उपरोक्त यूजीसी नियमनों की ग़ैर–अनुपालन की स्थिति में यूजीसी इसे गम्भीरता से लेगा तथा जैसा कि उपरोक्त नियमनों के अन्तर्गत अनुच्छेद 9.4 के अुनसार निर्धारित है तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा। ऐसा केन्द्रक अधिकारी जिसे रैगिंग से जुड़ी शिकायतें भेजी जानी चाहिए उस अधिकारी का नाम भी सूचित किया जाये।

इस विषय में प्रस्तुत शैक्षिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही इस विषय में तुरंत ही कार्यवाही की जाये–ऐसा कदम बहुत प्रशंसनीय रहेगा।

भवदीया,
मंजु सिंह
(मंजू सिंह)